



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265164
CG-DL-E-01082025-265164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3471]
No. 3471]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3557(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड", जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत "हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) राज्य या केन्द्र सरकार से अनुदान;
- (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्राप्त सहमति शुल्क;
- (ग) विश्लेषण शुल्क या वायु परिवेश गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क;
- (घ) प्राधिकार शुल्क;
- (ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;

- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
- (छ) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज;
- (ज) विविध आय जैसे पुरानी या स्क्रेप वस्तुओं की बिक्री, शर्ते, निविदा शुल्क, प्रतिभूति की जब्ती और उससे संबंधित अन्य मामले;
- (झ) परीक्षण शुल्क;
- (ञ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;
- (ट) सार्वजनिक सुनवाई शुल्क;
- (ठ) मान्यता शुल्क;
- (ड) सावधि जमा पर ब्याज.

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 127/2025/फा. सं. 300196/8/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3557(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “Haryana State Pollution Control Board”, (PAN: AAAJH0446F), a Board constituted by the State Government of Haryana under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Grants from State or Central Governments;
- (b) Consent fee received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;
- (c) Analysis fees or air ambient quality survey fees;
- (d) Authorization fees;
- (e) Cess reimbursement and cess appeal fees;
- (f) Fees received under RTI Act, 2005;
- (g) Interest on loan and advances given to staff of board;
- (h) Misc. Income such as sale of old or scrap items, terms, tender fees, forfeiture of security and other matters relating thereto;
- (i) Testing fees;
- (j) NOC fees;
- (k) Public hearing fees;
- (l) Recognition fees;
- (m) Interest on fixed deposit.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana State Pollution Control Board-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been apply for the Financial Year 2024-25 and shall apply with respect to the Financial Years 2025-26, 2026-27, 2027-28 and 2028-29.

[Notification No. 127 /2025/F. No. 300196/8/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.